डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं0- ब17/बी0एस0जी0-157/2013 - 926 /वि0

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक - 15/10/2019

विषय - **वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-04.11.2019 तक भेजने के संबंध में ।**

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है ।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है। अतएव, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में सिर्फ वैसी राशि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव भेजा जाय, जहाँ विभाग द्वारा किसी विस्तृत एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया हो, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रूपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव देना होगा एवं शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा ।

3. राज्य स्कीम के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग द्वारा यदि अतिरिक्त स्कीम उद्व्यय किसी विभाग को उपलब्ध कराया गया हो तो उसके लिए प्रस्ताव प्रशासी विभाग द्वारा भेजा जा सकता है । ऐसे प्रस्ताव के साथ उद्व्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रखी जाय । **राज्य स्कीम से संबंधित वैसे प्रस्ताव जिनके लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त स्कीम उद्व्यय उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसपर विचार नहीं किया जायेगा ।**

राज्य स्कीम अथवा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत अगर किसी परियोजना में बचत संभावित है, तो उक्त राशि का प्रत्यर्पण करते हुए अन्यत्र राज्य स्कीम/स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मद् में प्रत्यर्पित राशि के समतुल्य उपबंध का प्रस्ताव दिया जा सकता है । राज्य स्कीम अथवा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद की प्रत्यर्पित राशि के विरुद्ध अन्यत्र राज्य स्कीम मद में राशि के उपबंध हेतु योजना एवं विकास विभाग से आंतरिक सामंजन अथवा अतिरिक्त उद्व्यय प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4. यदि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए । यदि पूर्व वित्तीय वर्षो में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी, तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए उद्व्यय की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय/राज्य स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है, तो इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर व निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा ।

अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को **दिनांक-04.11.2019** तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में **अपराह्न 5 बजे तक** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

15/10/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव